

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश विश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 06/2022

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. अशोक कुमार पुत्र सुरताराम जाति
बिश्नोई निवासी सलारिया, सेड़वा जिला
बाड़मेर (मैसर्स गायत्री दूध डेयरी, सेड़वा,
बाड़मेर का मैनेजर)
2. गायत्री पत्नी अशोक कुमार जाति
बिश्नोई निवासी सलारिया, सेड़वा जिला
बाड़मेर (मैसर्स गायत्री दूध डेयरी, सेड़वा,
बाड़मेर फर्म प्रोप्राइटर)


परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.04.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी ने दिनांक 17.01.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स गायत्री दूध डेयरी, सेड़वा, बाड़मेर पर निरीक्षण करने पर अलग-अलग ड्रमों में विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ दूध (मिक्स) भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 2 किलो दूध (मिक्स) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1516 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ दूध (मिक्स) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दूध (मिक्स) का नमूना अवमानक (Sub-standard) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया 



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह उनके द्वारा किसी प्रकार का मिलावटी दूध का बेचान नहीं किया गया है और न ही उसके दूध बेचान से किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई है। अतः प्रकरण का निस्तारित करते हुए सव्य खारिज फरमाया जावे।
3. हमने प्रस्तुत परिवाद में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 03.02.2022 में उक्त नमूना अवमानक (Sub-standard) खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थीगण को पदाभिहित अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह उनके द्वारा किसी प्रकार का मिलावटी दूध का बेचान नहीं किया गया है और न ही उसके दूध बेचान से किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई है प्रकट करते हुए प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Fat मानक स्तर न्यूनतम 4.5% के मुकाबले में 3.7% एवं Milk Solid Not Fat मानक स्तर न्यूनतम 8.5% के मुकाबले में 8.32% पाया गया है जो कि मानक स्तर से कम है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट जवाब में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए संयुक्त रूप से रूपये 5,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर